नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हु[illegible]

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, पीपलखूंट जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

बजरिये श्री दिनेश चन्द धाकड़ आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 35/2017

उनवान

1. श्री नानजी पिता भोगजी भील जाति भील निवासी केलापाडा (केलामेला) तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ राज0

–वादी

बनाम

1. श्री धुलजी पिता हमेरा जी मीणा निवासी केलापाडा (केलामेला) तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ राज0
2. श्री आशु पिता धुलजी मीणा निवासी केलापाडा (केलामेला) तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ राज0
3. श्री सेवा पिता धुलजी मीणा निवासी केलापाडा (केलामेला) तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ राज0
4. श्री मदाजी पिता धुलजी मीणा निवासी केलापाडा (केलामेला) तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ राज0
5. श्री नाथीलाल पिता धुलजी मीणा निवासी केलापाडा (केलामेला) तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ राज0
6. श्री हरीश हकरिया पिता धुलजी मीणा निवासी केलापाडा (केलामेला) तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ राज0
7. श्री सुखलाल पिता धुलजी मीणा निवासी केलापाडा (केलामेला) तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ राज0

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188
आर. टी. ए. एक्ट.
दिनांकः–22.02.2021

निर्णय

उपस्थिति 1. श्री नरेन्द्र सिंह चौहान –वादी अधिवक्ता

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी के स्वामित्व व काश्तकारी एवं खाते व कब्जे काश्त की आराजी [illegible] वाके गाँव केलामेला, पटवार हल्का केलामेला, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ [illegible] खाता संख्या 195 होकर जिसमें अन्य आराजीयात के साथ आराजी नम्बर 1843 रकबा 0.15 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 1861 रकबा 0.21 हैक्टेयर कीता–2 रकबा 0.36 हैक्टेयर अन्य आराजीयात के साथ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त आराजीयात पर वादी काबिज होकर काश्त करते हैं व फसल बोते व लेते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण आये दिन वादी के खाते, कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात पर जबरन मदाखलत कर फसल को नुकसान पहुंचा कर लड़ाई झगड़ा करते हैं तथा वादी की आराजीयात पर जबरन कब्जा करने की धमकीया देते हैं। दिनांक 05.07.2017 को वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Chand Dhaker
Date: 2021.07.23 13:18:21 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलखूंट जिला – प्रतापगढ़

बजरिये– श्री दिनेशचन्द धाकड आर.ए.एस.

वाद संख्या–35 / 2017

उनवान–नागजी बनाम धुलजी वगै0

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 आर. टी. ए. एक्ट.

अपने खाते की उक्त आराजीयात पर बुवाई करने हेतु गये तो प्रतिवादीगण हम सलाह होकर वादी के साथ लड़ाई झगड़ा किया तथा धमकी दी कि हम तुम्हारी जमीन पर जबरन कब्जा कर तुम्हें बेदखल कर देंगे तथा फसल नही बोने देंगे और फसल बोई तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं हैं कि वे वादी के खाते व कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात में किसी तरह से मदाखलत मजामहत करे इसलिये प्रतिवादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि प्रतिवादीगण वादी के खाते व कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा नहीं करे ना ही वादी को काश्त करने में रोक रूकावट पैदा नहीं करें ना ही वादी को उक्त आराजीयात से बेदखल करने का प्रयास करे, ना ही उक्त कार्य अपने नौकर, एजेन्ट या रिश्तेदार से करावें।

वादपत्र जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलवी हेतु नोटिस / समन जारी किया गया। समन जारी किए जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] निनामा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर देने के बाद भी प्रतिवादीगण का दिनांक 05.07.2018 को जवाब बन्द किया गया।

दिनांक 22.02.2021 को बावजुद सूचना के अधिवक्ता प्रतिवादीगण मय प्रतिवादीगण के अनुपस्थित होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए।

पत्रावली में अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। विवादग्रस्त आराजी में वादीगण खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–::आदेश::–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम गाँव केलामेला, पटवार हल्का केलामेला, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ का नवीन खाता संख्या 195 होकर जिसमें अन्य आराजीयात के साथ आराजी नम्बर 1843 रकबा 0.15 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 1861 रकबा 0.21 हैक्टेयर कीता–2 रकबा [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वह [illegible] उक्त आराजी में जबरन कब्जा न करें, वादी को काश्त करने में किसी प्रकार का रूकावट [illegible] न करे। डिक्री पर्चा कायम करे।

निर्णय आज दिनांक 2[illegible] इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Chand Dhaker
Date: 2021.07.23 13:18:21 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश चन्द धाकड RAS)
उपखण्ड अधिकारी, पीपलखूँट
जिला–प्रतापगढ़

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूँट (राज.)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, पीपलखूंट जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

बजरिये श्री दिनेश चन्द धाकड़ आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 35/2017

उनवान

1. श्री नानजी पिता भोगजी भील जाति भील निवासी केलापाडा (केलामेला) तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ राज0

–वादी

बनाम

1. श्री धुलजी पिता हमेरा जी मीणा निवासी केलापाडा (केलामेला) तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ राज0
2. श्री आशु पिता धुलजी मीणा निवासी केलापाडा (केलामेला) तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ राज0
3. श्री सेवा पिता धुलजी मीणा निवासी केलापाडा (केलामेला) तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ राज0
4. श्री नवाजी पिता धुलजी मीणा निवासी केलापाडा (केलामेला) तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ राज0
5. श्री मणीलाल पिता धुलजी मीणा निवासी केलापाडा (केलामेला) तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ राज0
6. श्री हरीश हकरिया पिता धुलजी मीणा निवासी केलापाडा (केलामेला) तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ राज0
7. श्री सुखलाल पिता धुलजी मीणा निवासी केलापाडा (केलामेला) तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ राज0

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र सिंह चौहान एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 22.02.2021 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि:–

दावा वादी न्यायालय में स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम गाँव केलामेला, पटवार हल्का केलामेला, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ का नवीन खाता संख्या 195 होकर जिसमें अन्य आराजीयात के साथ आराजी नम्बर 1843 रकबा 0.15 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 1861 रकबा 0.21 हैक्टेयर कीता–2 रकबा 0.36 हैक्टेयर भूमि के लिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वह वादी की उक्त खातेदारी कब्जे काश्त [illegible] जी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य इत्यादि एवं खुर्द बुर्द नकल अन्दाजी नही करे न अन्य से कर[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Chand Dhaker
Date: 2021.07.23 13:18:21 IST
Reason: SelfAttested

इसके वाद के खर्चे लिए XXX-रूपये की [illegible] आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर–XXX-प्रतिशत की दर से ब्याज सहित–XXX- [illegible] दी जावें।

यह डिक्री आज दिनांक 22.02.2021 को [illegible] हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

वाद के खर्चे

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूँट (राज.)

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	—	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	—
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	—	अर्जी के लिए स्टाम्प	—	—
3. अर्जी के लिए स्टाम्प	01	—	प्लीडर की फीस	—	—
4. वकील या लीडर की फीस	—	—	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—	आदेशिका की तामील	—	—
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	—	कमिश्नर की फीस	—	—
7. आदेशिका की तामील	—	—		—	—
योग	05	—	योग	01	—

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूँट (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Chand Dhaker
Date: 2021.07.23 13:18:21 IST
Reason: SelfAttested